संख्या- 193 /2023 / 1249 /चार-2023

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 11 मई, 2023

विषय:- जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद स्थित रामलीला मैदान में निर्माण कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-191/सं0नि0-6(131)/2018-19 टी0सी0 ।। दिनांक 24 अप्रैल, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद स्थित रामलीला मैदान में निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 191/चार-2022/2236/चार-2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2022 द्वारा प्रदान की गयी रू0 199.53 लाख (रूपये एक करोड़ निन्यानवे लाख तिरपन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0 90.00 लाख (रूपये नब्बे लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति के क्रम में जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद स्थित रामलीला मैदान में निर्माण कार्य हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवशेष धनराशि रू0 109.53 लाख (रू0 एक करोड़ नौ लाख तिरपन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

3. प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1 शासनादेश संख्या- 191/चार-2022/2236/चार-2022 दिनांक 01 नवम्बर, 2022 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(4) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण / उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(6) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92- आयोजनेत्तर पक्ष के 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय -41- सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण -24 वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
(उमा द्विवेदी)
संयुक्त सचिव

संख्या - 193 /2023 / 1249 (1) /चार-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
6- महाप्रबंधक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, गोमती बैराज, गोमती नगर लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (लेखा) अनुभाग-7/ वित्त (ई-7) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन।
9- परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई-4, म0नं0-98, बजरंग नगर, सिकन्दरा, आगरा-282007
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(उमा द्विवेदी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।